

प्रेषक,
अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,
निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
क०प्र०, लखनऊ।

त्रिवितीय रोजगार एवं गरीबी

संस्कृत कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगराय अल्पा
योजनान्तर्गत जनपद-सहारनपुर की 03 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

लखनऊ : दिनांक : २५ दिसम्बर, 2018

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादरा राउडा 117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012ईसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
 2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूड़ा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूड़ा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
 4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा उक्त धनराशि को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित किया जायेगा।
 5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया

九

कमाशी:.....2

264) FC है।
प्रद्युम्न गोपि. / FAE/
गोपि

$f(x) = \int_{-\infty}^x e^{-t^2} dt$

6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राज्यकोष द्वारा जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरायति/पुनरायति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राज्यकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, द्वातः राज्यकोष, संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चातू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. सेन्ट्रेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उत्तीर्ण ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चातू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।


3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2015, दिनांक 30.03.2018 व समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
(अनिल कुमार घाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या 660/2018/2189(1)/69-1-18, तद्दिनांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 शासनी नायदू भार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, 30प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 66 /2018/2189(1)/69-1-18-169(मोब०-83)/2018, दिनांक 24 दिसम्बर,
2018 का संलग्नक।

(पत्रराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्थीकृत की जाएँही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	सातपुर	नानिधिन	वार्ड नं०-14 शापदा नगर में रामलाल खण्डजा के मकान से सुरेश भारद्वाज के मकान तक, शमशान घाट रोड से सुरेश के मकान होते हुए इन्द्रपाल के मकान तक, किशन लाल के मकान से रवि शंकर के मकान तक, नकली के मकान से हरपाल के मकान तक, विजय कुमार के मकान से अशोक कुमार के मकान तक इंटरलाइंग टायल्स से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	19.99	19.99
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-06 में बालपुर की अनुसन्धित जाति बस्ती में लोकेश के मकान से नीरज के मकान तक, श्याम् के मकान से घेट प्रकाश के मकान तक, साधू के मकान से जय प्रकाश के मकान तक, अमर सिंह के मकान से लोकेश के मकान तक इंटरलाइंग टायल्स से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	23.80	23.80
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-10 फलेहपुर जट में सुखपाल के मकान से धर्मवीर के मकान होते हुए धर्म सिंह के मकान तक, धर्म सिंह के मकान से कालहर के मकान को होते हुए कंवरपाल के मकान के मकान तक, कंवरपाल के मकान से राजू के मकान होते हुए विनोद (मेन रोड) तक, मेन रोड से महेन्द्र के मकान होते हुए सुन्दर के मकान तक, धर्मपाल के मकान से सुकरड के मकान सिंह के मकान तक, राकेश के मकान से रेखीराम के मकान तक, करम् के मकान से तौसी के मकान तक इंटरलाइंग टायल्स से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	23.47	23.47
योग (रूपये सरसठ लाख टक्की से हजार मात्र)।				67.26	67.26


(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सविव।